

23.12.19 पत्रावली के माध्यम से वकील पत्रकारों को उपरोक्त विषय पर  
विचारित प्रस्ताव दि. 20.1.20 को प्रेषित है

18-1-20 पत्रावली आज पत्रकारों के द्वारा प्रेषित पत्र पर  
पत्रावली पत्रकारों द्वारा आपसी सहमति  
का राजीनामा प्रस्तुत किया पत्रकारों  
की परचाय उनके अधिकारों को  
की गयी

पत्रकारों को उनके द्वारा पूर्व की  
प्रस्तुत किया गया आपसी सहमति  
का राजीनामा पत्रकारों सुनाया गया  
पत्रकारों द्वारा राजीनामों को पत्र/सुन  
/समझ कर सही लेना स्वीकार किया  
तथा उनके द्वारा ही पूर्व आपसी सह-

आवृत्ति  
Election  
H. H. H.  
R. H. H.  
समाप्त  
7  
कालिका  
दुर्गा  
H. H. H.  
R. H. H.

मति से आपसी सहमति का राजीनामा  
आलेखित तब का प्रस्तुत करना स्वीकार  
किया। राजीनामा बाद तस्वीर गाठ पत्रावली,  
निया गया। पक्षकारान् के पुनः हस्ताक्षर तयारी  
गयी।

पक्षकारान् एवं उनके विधान अधिवक्ता  
गठाना सुना गया। पक्षकारान् एवं अधिवक्ता  
गठाना डाटा आपसी सहमति अनुसार वादगत  
शुद्धि के विभाजन पर पूर्ण सहमति व्यक्त  
की गई।

चूंकि पक्षकारान् के मध्य आपसी  
सहमति का राजीनामा आलेखित तब का  
का प्रस्तुत कर दिया गया है, इस कारण  
पक्षकारान् के मध्य विवादित विन्दुओं  
का अवसान हो गया है।

अतः पुलिसवादी नं. 5 के हिलों का  
सुसिद्ध रावत दुर्ग वादगत शुद्धि का  
पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति के  
राजीनामे अनुसार विभाजन किया जाना -  
उचित प्रतीत होता है।

अतः हस्त राजीनामा वाद वादी -  
स्वीकार किया जाकर ग्राम धामावद  
श्री शुद्धि खंड नं. 50, 275, 300, 306, 766  
947, 948, 951, 952 किला 9 (कवा) 5.77 हे०

का पक्षकारान् के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

उ.सं	नाम पक्षकार मय विवरण	ख.नं	कवा	रिया
-	कालूराम आठ जगन्नाम जाति	306	1.05	-
	कुल्मी सा. देह	951	0.01	-
		953	0.16	-
	किला	3	1.22	-

तारीख	हुजम का कार्यवाही का इतिहास
(2)	<p>राजाराम आठ जगन्नाथ जाति हुल्मी सा. देह</p> <p>275 0.83 50 0.64 947 0.10 <u>किता 3</u> 1.57</p>
(3)	<p>राजाराम आठ जगन्नाथ जाति हुल्मी सा. देह</p> <p>50 1.28 947 0.09 966 0.09 948 0.02 <u>किता 4</u> 1.48</p>
(4)	<p>रामेश्वर आठ जगन्नाथ जाति हुल्मी सा. देह</p> <p>650 0.96 300 0.54 <u>किता 2</u> 1.50</p>

तदनुसार अंतिम डिही जारी होकर  
नं. 4 का नाम हकलगाव की रजिस्ट्रार  
या ह्यामप इमूरी गारी व प्रतिवादी नम्बर  
1 लगामत 3 व छल लेन पर राजपत्र किता  
में अमरु दामद ही नकरो में लामोम की  
जावे।

पत्रावली श्री निठिल में गठाना की  
जाका बाद लामोम लकरीण छविल लेख  
भंडाल ही


निर्णय आज दि 10-1-2020 को मेरे  
द्वारा लिखाया जाका लई इजाजत हुनाया।

(निमनलाल शीता)  
R.A.S.

21.1.2020 पत्रावली आज छति. 1 कं जा. पत्र पर पेरा/शा. पत्र  
पर पेरा/शा. पत्र शा. का रही बिलाकत श्री हुम सं 3 पर  
राजाराम के हिल्ले में रब. नं. 966 के ह्याम पर 766  
पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.9.20	<p>पत्रावली आज शर्ही अमल उतिवादी नम्बर 1 के शर्हीना पत्र पर पेश हुई। शर्ही को सुना गया। शर्हीना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>आपसी सहमति राजीनामा नियम दिनाङ्क 10.01.2020 के अनुसार अंतिम डिष्टी वैयाल है।</p> <p>प्रकार में आज दिनाङ्क 16.9.2020 के अंतिम डिष्टी मूल के शामिल मिलने की गई।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  रामगंजमण्डी </p>	

**अंतिम डिकरी व मुकदमा**

(बॉर्डर 20, क्वॉ 6-7, कलकत्ता शीपरी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

उपाखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी  
 चिमनलाल मीठा (R.A.S.)

कालू राम राधेश्याम  
 भागा क्र. 88-89-53-188 R.T. Act 1955  
 30 2014

अस दामल दान (T.M.S.)  
 श्रीम. लोनी एड.

हख राजीनामा वाद वादी लीकाल किया जाऊल ग्राम धानावड श्री 2 मि. ख. 0-  
 50, 275, 300, 308, 766, 947, 948, 951, 952 किला 9 कवा 5.57 हे० में पसकारों  
 के मध्य पुला पल अंकित अनुसाल किया जाऊल किया जाता है

युक्तियोग  नाम   
 कलकत्ता मुकदमे के सम सुट व शरद  कलकत्ता मुकदमा काज की करीब  
 के कलकत्ता मुकदमा  को मता करे।

मो बारी की मरी पूर्व प्रिय सि. 10.1.20 के अनुसार डिडी आज दि 16.9.20 के तैमा हू जारी श्री  
 2020  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रामगंजमण्डी

सुट	नामा	सुटमसार
रहाना अजिफास	[Handwritten signature]	स्टाम्प धानावडगावा
म. म. मकालनगारा		पसकार अमी
रहाना मण्डु बभूज		पसकारा कलकत्ता पल
रहाना मण्डु बभूज		कमी गेवाहति
रहाना मण्डु बभूज		फीमा अजिफास
रहाना मण्डु बभूज		रहाना धानावड हुबधगावा
रहाना मण्डु बभूज		मुतफारिक

पुला वाद व्यय पसकार अपना-अपना बरन करे।

*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रामगंजमण्डी